भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2385

जिसका उत्तर 05 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

छोटी नदियों की सफाई

2385. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिला मुख्यालयों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से बहने वाली छोटी नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इसके लिए नए प्रावधन बनाने जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) कस्बों और शहरों से निकलने वाला अपशिष्ट और आंशिक रूप से शोधित सीवेज, जो नदियों के किनारों के साथ बहता है, देश में छोटी नदियों सहित नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नदियों की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रकिया है और केन्द्र सरकार नदियों में होने वाले प्रदूषण की चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), नमामि गंगे जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके पूरा करती है। अब तक, एनआरसीपी ने देश की 34 नदियों पर बसे 16 राज्यों के 77 कस्बों में प्रदूषित स्थलों को 5870.54 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से कवर किया है। नमामि गंगे के तहत गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया है। नमामि गंगे के तहत 28,790.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 310 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 116 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और यह परियोजनाएं प्रचालन में हैं।

इसके अतिरिक्त, शहरी नवीकरण और रूपांतरण अटल मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया जाता है।

इसके अलावा, सीपीसीबी, एसपीसीबी और पीसीसी, औद्योगिक बहिर्स्राव मानकों से संबंधित नियमित मॉनीटरिंग करते हैं और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अनुपालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मॉनीटरिंग के अनुपालन को बढ़ाने के लिए सीपीसीबी ने विशेष उद्योगों को 24x7 ऑन-लाईन बहिर्स्राव मॉनीटरिंग सिस्टम को संस्थापित करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सीपीसीबी ने जल प्रदूषित उद्योगों में जल के न्यूनतम नुकसान को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं और जहां तक संभव है, तरल बहाव को शून्य रखा है।

*****